

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2016/माघ 21, 1937

No. 379] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2016/MAGHA 21, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2016

का.आ. 444(अ).— केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 16 के साथ पठित धारा 1 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम ऐसे सभी बैंकों जिनमें स्थापन के वर्ग के रूप में बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित है, ऐसे कर्मचारियों की बाबत जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबंधित बैंक स्थापन द्वारा बनाई गई किसी स्कीम या नियम के अनुसरण में अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के लाभ के हकदार नहीं है, पर लागू होगा।

[फा. सं. एस-35018/10/2013-एसएस-2]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2016

S. O. 444(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 1 read with section 16 of the Employees` Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby specifies that the said Act shall apply to all banks employing twenty or more number of persons as a class of establishment in respect of those employees who are not entitled to the benefit of Contributory Provident Fund or old age pension in accordance with any Scheme or rule framed by the Central Government or the State Government or by the respective banks established under the Banking Regulations Act, 1949 (10 of 1949).

[F. No .S-35018/10/2013-SS.II]

MANISH GUPTA, Jt. Secv.

723 GI/2016